राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप–12) विभाग

कमांकः प.7(89)गृह–12/कारा/2014 पार्ट–5 जयपुर, दिनाक : 06 JUL 2018

–: आदेश :–

राज्य सरकार द्वारा बंदियों का रिकॉर्ड e-Prisons software अपलोड करने तथा उसकी समय–समय पर समीक्षा किये जाने तथा e-Prisons software की निगरानी (Monitoring) के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन एवं निर्धारित नियमों का पालन करवाये जाने के सम्बन्ध में एतद्द्वारा राज्य स्तर पर निम्नांकित कमेटी का गठन किया जाता हैः–

1. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस (जेल) – अध्यक्ष
2. गृह विभाग द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि (शासन उप सचिव स्तर का अधिकारी) – सदस्य
3. वित्त विभाग द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि (संयुक्त शासन सचिव स्तर का अधिकारी) – सदस्य
4. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि (संयुक्त शासन सचिव स्तर का अधिकारी) – सदस्य
5. जेल विभाग द्वारा मनोनीत प्रिजन्स मैनेजमेन्ट सिस्टम के नोडल अधिकारी (प्रोग्रामर स्तर का अधिकारी) – सदस्य
6. CCTNS/ICJS प्रोजेक्ट द्वारा मनोनीत नोडल अधिकारी (एन.आई.सी. द्वारा मनोनीत उप निदेशक स्तर का अधिकारी) – सदस्य
7. कारागार विभाग द्वारा मनोनीत अन्य सदस्य (जेल अधीक्षक स्तर का अधिकारी) – सदस्य सचिव

आज्ञा से,

(कैलाश चन्द)

शासन उप सचिव,

गृह (जेल) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय गृह एवं कारागार मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग।
5. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह विभाग।
8. वरिष्ठ शासन सचिव, गृह (समन्वय) विभाग।
9. शासन उप सचिव, गृह (जेल) विभाग।
10. उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.), नई दिल्ली।
11. रक्षित पत्रावली।

(शंकर सिंह मनोहर)
सहायक शासन सचिव,